$संसदअधिकारी (या्ा और दैिनक भ्ा) िनयम, **1956**

1. संि्ि् नाम - इसिनयम का संि्ि् नाम संसद अिधकारी (या्ा और दैिनक भ्ा) िनयम, 1956 है।

2. राज्यसभा के सभापित और लोक सभा के अध्य् को अनु्ेय भ्े - राज्य सभा कासभापित और लोक सभा का अध्य्, ्र्येक -

(क) अपना पद ्हण और पद-मु् होने पर अपने तथाअपने कुटु्ब के सद्य् के िलए और अपने तथा अपने कुटुंब क् चीज-ब्तु के प्रवहन केिलए उ्ह् या्ा भ्े का हकदार होगा जो मंि्म्डल के िकसी मं्ी कोमंि्य् के स्बलम् और भ्े से संबंिधत अिधनयम, 1952 (1952 का 58) क् धारा 11 के अधीन बनाए गए और त्समय ्वृत िनयम् के अधीन उसके पदा्हण और पदमु् होने परअनु्ेय है;

(ख) अपने पदीय कत ् के िनव्हन म् भारत म्िकए गए अपने दौर् के बाने म् ऐसे या्ा और दैिनक भ्े का हकदार होगा जोमंि्म्डल के िकसी मं्ी को उ् िनयम् के अधीन अनु्ेयहै;

(ग) अपने पदीय कत ् के िनव्हन म् भारत सेबाहर िकए गए अपने दौर् के बारे म् ऐसे या्ा और दैिनक भ्े का हकदार होगा जोके्ीय सरकार, ्र्येक दशा म् अवधािरत करे।

3. लोकसभा के अध्य् को अनु्ेय कुछ अितिर् भ्े-

लोकसभा का अध्य् लोक सभा के ्र्येक स् क् समाि् पर िद्ली से अपनेिनवा्चन-्े्(मु्यालय) को क् गई अपनी या्ा के बारे म् और आगामी स् के्ारंभ पर वापस िद्ली क् या्ा के िलए िन्िलिखत का हकदार होगा, अथा्त्:-

(क) िनयम-2 के खंड (ख) के अधीन अनुल्ेय दर् परया्ा भ्े (दैिनक भ्े के िबना) का;

$ िहन्दीअनुवाद भारत के असाधारण राजप् भाग 2, अनुभाग 3, िदनांक 31-8-1988म््कािशत िकया गया।

(ख)वयं अपनी जोिखम पर अपनी मोटरकार के कष्ण केिलए वा्तिवक ्भार का; और

(ग) अपने कार चालक के िलए िन्तम दज् केवा्तिवक रेल िकराए का।

4. उप-सभापितऔर उपाध्य् को अनु्ेय भ्े - राज्य सभा का उप-सभापित और लोकसभा का उपाध्य्, ्र्येक

-

(क) अपना पद ŪŪहण और पद-मु□ होने पर, अपने तथाअपने कुटुंब के सद्╈य□ के िलए और अपने तथा अपने

कुटुंब कঃ चीज-ब्╈तु के पঢ়रवहन केिलए ऐसे या्ु़ा भঢ়े का हकदार होगा जो ৪कसी रा३यमं्ु़ी को

मंि्ु़य□

के स্बलम□और भঢ़□ से संबंिधत अिधिनयम, 1952 (1952 का 58) कঃ धारा 11 के अधीन

बनाए गए औरत৹समय ्ঽवृत िनयम□ के अधीन उसके पद ŪŪहण और पद-मु□ होने पर अनु्ঢ়ेयहैः-

(ख) अपने पदीय कत□ के िनवা৯हन म৬ भारत म৬৪कए गए अपने दौर□ के बारे म৬ ऐसे या्ु़ा और दैिनक

भঢ़े का

हकदार होगा जो उ□िनयम□ के अधीन रा३यमं्ु़ी को अनु्ঢ়ेय है;

(ग) यथाि्╈थित, रा३य सभा या लोक सभा के ्ঽ०येकस्ु कঃ समाि्ৃ पर ৪द५ली से अपने िनवা৯चन-ॆ्ঽे्ু

(मु□यालय) को कঃ गई अपनीया्ु़ा के बारे म৬ और आगामी स्ु के ्ঽारंभ पर वापस ৪द५ली कঃ या्ु़ा

के

िलए खंड (ख) के अधीन अनु्ঢ়ेय दर□ पर या्ु़ा भঢ़ा (दैिनक भঢ़े के िबना) पाने का हकदारहोगा;

(घ) अपने पदीय कत □ के िनवা৯हन म৬ भारत सेबाहर ৪कए अपने दौर□ के बारे म৬ ऐसे या्ु़ा और दैिनक

भঢ़े का

हकदार होगा जोके३्╎ीय सरकार, ्ঽ०येक दशा म৬, अवधাঢ়रत करे।

4 क या्ु़ा भঢ़े और दैिनक भঢ़ेके अिŪŪम का संदाय -৪कसीभी संसद अिधकारी को इन िनयम□ के अधीन

उसको अनु्ঢ়ेय ৪कसी भी या्ु़ा भঢ़े या दैिनकभঢ़े के अिŪŪम का संदाय ৪कया जा सकेगा।

5. इन िनयम□ के ्ঽारंभ के पूवা৯संदঢ় भঢ़□ के बारे म৬ िवशेष उपबंध -৪कसीभी संसद अिधकारी को

या्ु़ा

और दैिनक भঢ़े के ९प म৬ इन िनयम□ के ्ঽारंभ केपूवা৯৪कए गए सभी संदाय उिचत ९प से ৪कए गए

समळो

जाएंगे, मान□ वे दर৬, िजन पर ऐसेभঢ़□ का संदाय ৪कया गया था, इन िनयम□ के अधीन िनयत कঃ गईथी।